राष्ट्रीय हिंदी, साप्ताहिक खबरें

जनती की समस्या, हर पल टाइम्स की खबर

HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

RNI NO. MAHHIN/2011/24374

▸ वर्ष : १० ▸ अंक: १४ ▸ मुंबई, शुक्रवार, ४ दिसम्बर से १० दिसम्बर २०२० ▸ पृष्ठ: ४ ▸ मुल्य : २/- रु.

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला अखबार, (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करे)

हर पल टाइम्स की खास रिपोर्ट

हिंदुस्थान में किसानों का बडा आंदोलन

सरकार की किसानों को कोई भी बात मुंजूर नहीं

८ डिसेंबर को भारत बंद का ऐलान

३ कानून हटाने की बात

संयुक्त राष्ट्र तक किसान आंदोलन की गूंज

यह कहानि नहीं हकिकत है किसान नौ दिनों से दिल्ली में जान हथेंली पर रखकर ३ कानून पर लड़ाई कर रहे है देश किधर जा रहा है?

Har pal tv news.cmw.cin. chief news Editor.Jameel g khan.Mumbai India.

१) किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार के तीन कानून मंजूर नहीं

२) किसानों की समस्या २६ नवम्बर से लगातार है मगर कोई फैसला नहीं

३) किसानों ने दिल्ली में जबसे आए है, आंदोलन कर रहे है सर्दी की वजह से रोज कई किसानों की मौते होती चली आ रही है इसका जवाबदारकौन?

४) ८ तारीख को भारत बंद का ऐलान पुरे भारत में बडी हलचल

५) किसीन अभी भी ३ कानून को लेकर परेशान, सरकार पर कोई असर नहीं ना जाने और कितनी जाने जाएगी

६) किसान की एक ही बात कानून को हटाओं, किसान का कहना है कि सरकार टाइम पास करके मिटिंग करके किसानों पर जादती कर रही है

७) भारत की कई पार्टिया मदद के लिए पहुंच रही है, किसानों का कहना है अगर कोई पार्टि मदद भी नहीं करेगीं तो किसानों का आंदोलन चलता रहेगा.

८) किसानों का कहना जब तक ३ कानून सरकार नहीं हटाएगी दिल्ली से हम वापस नहीं जाएगे चाहे किसी भी मुश्किल का सामना करना पडे.

९)सरकार ने जो किसानो पर सड़क बंद करने के इल्जाम लगाए है वह गलत है, सरकार की पुलिस ने बंद किया है सड़क को बेरिगेट लगाकर बंद किया है और हमें जबरडस्ती परेशान किया जा रहा है।

१०) क्या भारत सरकार किसान को ३ कानून पर परेशान करके हमारे देश के हालात सुधर जाएंगे?

नई दिल्ली

किसान आंदोलन को अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी (शेष पेज 2 पर)

केंद्र सरकार को अविलंब तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने चाहिएः CM अशोक गहलोत

जयपुर,

किसानों के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि किसानों की बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी जिसके कारण आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संवाद सरकार के साथ इस प्रकार कायम रहते तो यह चक्का जाम के हालात नहीं बनते एवं आम जन को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, किसान सगंठनों, कृषि विशेषज्ञों से बिना चर्चा किए तीनों कृषि बिल बनाए। (शेष पेज 2 पर)

सरकार से पांचवें दौर की बातचीत से पहले किसानों का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली

नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने सरकार के साथ पांचवें दौर की बातचीत से पहले शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो 5 दिसंबर को देशभर में पीएम मोदी के पुतले जलाएंगे और 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) के महासचिव (शेष पेज 2 पर)

Jamil Khan, chairman of Electronic Media Group and Har Pal Times, congratulated AMIF All India President and Karnataka for the compassion that has been working in All qIndia and helping people. We want the whole of India to work in every team in this way. Amif! All India President! SM Asif appointed Syed Hussain as President of Karnataka State. And Syed Hussain is helping carona for people all over Karnataka.

भारत कर रहा है कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाने की तैयारी

नई दिल्ली

कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए इसकी वैक्सीन पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर र-हे हैं। वहीं इसके रख-रखाव को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार करने को लेकर लक्जमबर्ग स्थित बी मेडिकल सिस्टम के मुख्यालय के दो शीर्ष अधिकारी नई दिल्ली आने वाले हैं, जो कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करेंगे। यह कंपनी अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर देश में एक प्लांट बैठाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका काम स्पेशल रेफ्रिजेरेटेड वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स और फ्रीजर्स की सप्लाई करना है। बी मेडिकल सिस्टम गुजरात में एक प्लांट बनाना चाहती है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। ऐसे में

उम्मीद की जा रही है कि कंपनी वैक्सीन को रखने वाले खास बक्से को आयात करेगी, जिसके जरिए वैक्सीन का उत्पादन शुरू होते ही उसे दूसरी जगह सही से भेजा भी जा सके। देश भर के लोगों तक कोरोन वायर-स वैक्सीन पहुंचाने के संचालन व्यवस्था में कोल्ड चेन को सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है। दरअसल बी मेडिकल सिस्टम के पास ऐसी तकनीक है, जिसमें माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन को रखा जा सकता है। ब्रिटेन ने फाइजर-बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अस्थायी मंजूरी दे दी है और यह वैक्सीन अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन को माइनस 70 डि-ग्री सेल्सियम या फिर इससे भी कम पर रखने की जरूरत होती है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्ना कंपनी द्वारा तैयार किए जा रहे वैक्सीन को शिपिंग के दौरान माइनस 20 डि-ग्री सेल्सियस में रखा जा सकता है और अधिकतम 6 माह तक इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रेफ्रिजेरेटर तापमान पर इसे सिर्फ 10 दिन तक ही रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोविड-19 का टीका कुछ सप्ताह में तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। इसके साथ एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिग करेगा। इस विषय पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ संपर्क में हैं। कोरोना वायर-स पर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में बीते दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है। भारत निर्मित टीका बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों से सार्थक बातचीत हुई है। वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त है। विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि कोरोना के टीके के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और माना जा रहा है कि यह कुछ सप्ताह में तैयार हो सकता है।

किसान आंदोलन पर बयानबाजी को लेकर भारत ने कनाडा को चेताया

बेहद खराब हो जाएंगे रिश्ते

नई दिल्ली,

राजधानी दिल्ली में चल रह किसानों के आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की ओर से जारी बयानबाजी को लेकर भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप बंद करने की नसीहत देते हुए कहा कि यदि यह जारी रहा तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया, आज विदे-श मंत्रालय की ओर से कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया गया और बताया गया कि कनाडा के पीएम कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की ओर से भारतीय किसानों पर बयानबाजी हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है। विदेश मत्रालय ने यह भी कहा कि यदि यह जारी रहा तो भारत और कनाडा के रिश्तों पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। इन बयानों ने कनाडा में हमारे हाई कमीशन और कांसुलेट के सामने चर-मपंथी गतिविधियों को बढ़ाया है, जिससे सुरक्षा की चिंता उत्पन्न हुई है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, हम आशा करते हैं कि कनाडा की सरकार भारतीय कूटनीतिक अधिकारियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इसके नेता चरमपंथी एक्टिविज्म को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं से दूर रहेंगे। भारत ने इससे पहले भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को गैरजरूरी बताते हुए कहा था कि घरेलू मामले में दखल ना दी जाए।

बाकी पेज १ का

संयुक्त राष्ट्र तक किसान...

अब भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों का समर्थन किया था जिसके बाद भारत ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया था। भारत का कहना है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को कहा, जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, ... यह ... कि लोगों को शांतिप-र्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। दुजारिक भारत में किसानों के प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदे-शी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचन-ाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों। मंत्रालय ने एक संदेश में कहा, ह्यबेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीति-तक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए।तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर हजारों-हजार किसान सड़क पर हैं। दिल्ली से लगने वाली सीमाएं ब्लॉक कर दी गई हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज अगले दौर की बातचीत होनी है। किसान कानून वापस लेने से कुछ भी कम स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। सरकार थोड़ी नरम दिख रही है लेकिन पूरी तरह रोलबैक का फैसला उसके लिए शर्मिंदगी भरा होगा। अधिकारी किसान संगठनों की मुख्य आपत्तियों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकल आए। मगर किसान संगठनों को इसकी उम्मीद कम ही लग रही है और ऐसे में वह भारत बंद बुलाकर सरकार पर दबाव और बढ़ाना चाहते हैं। शनिवार को कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूंके जाएंगे।देशभर के कि-सान संगठनों ने। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। इस संस्था के तहत देशभर के 400 से ज्यादा किसान संगठन आते हैं। यानी सरकार को यह साफ इशारा कर दिया गया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा ही। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों ने खुलकर आंदोलन का समर्थन किया है तो बाकी विपक्षी दल भी सरकार को घेरे हुए हैं। कुछ राजनीतिक दल भारत बंद को भी अपना समर्थन दे सकते हैं।जरूरी सेवाओं को छोड़कर शायद हर जगह। कि-सान संगठनों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद वाले दिन, देशभर में चक्का जाम की तैयारी है। रेल सेवाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश होगी। कृषि आधारित इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बाजार से लेकर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। सड़कें जाम होने से सप्लाई चेन्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसजि की कमर टूट सकती है। अगर राजनीतिक दल भी भारत बंद के समर्थन में उतरते हैं तो फिर उसके असर का दायरा और बढ़ सकता है। इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं को बंद से दूर रखने की बात किसान संगठन कहे चुके हैं।किसानों का विरोध केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए गए तीनों कानूनों को लेकर है। यह तीनों बिल सीधे-सीधे देश के कृषि क्षेत्र पर असर डालते हैं। आइए समझते हैं कि इन कानूनों में क्या है और इनका विरोध किसलिए हो रहा है।ऐसा ईकोसिस्टम बनना जहां किसान और व्यापारी राज्यों की अढटउर के तहत आने वाली मंडियों से इतर बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता पा सकें।फसल के बैरियर-फ्री इंटरस्टेट और इन्फ्रा-स्टेट ट्रेड को बढ़ावा देना।इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए ढांचा उपलब्ध कराना।

क्यों हो रहा विरोध?

राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान र-जिस्टर्ड APMC मंडियों से इतर फसल बेचेंगे तो मंडी शुल्क नहीं देना होगा।अगर खेती का पूरा व्यापार मंडियों से बाहर चला जाए तो राज्यों में कमिशन एजेंट्स का क्या होगा?इससे टरढ आधारित खरीद व्यवस्था खत्म हो सकती है।e-NAM जैसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में मंडी जैसी ही व्यवस्था होती है। अगर ट्रेडिंग के अभाव में मंडियां बंद हुईं तो e-NAM का क्या होगा? किसान सीधे एग्री-बिजनस फर्मों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से भविष्य की फसल का पहले से तय कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे।पांच हेक्टेयर से कम खेतिहर जमीन वाले किसानों को एग्रीगेशन और कॉण्ट्रैक्ट के जरिए फायदा होगा (भारत में कुल किसानों का 86% इसी कैटेगरी में)।मार्केट की अनिश्चितता के खतरे को किसानों से हटाकर स्पांसर्स पर ट्रांसफर करना।आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों को बेहतर इनप-ट्स देना।मार्केटिंग की लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाना।पूरी कीमत पाने के लिए किसान बिचौलियों को किनारे कर सीधे डील कर सकते हैं।कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के पास मोलभाव करने की क्षमता कम हो जाएगी।स्पांसर्स को शायद छोटे किसानों के साथ सौदे अच्छे न लगें।अगर कोई विवाद हुआ तो प्राइवेट कंपनियां, होलसेलर्स और प्रोसेसर्स के पास बेहतर कानूनी विकल्प होंगे। अनाज, दालों, तेल प्याज और आलू जैसी फसलों को जरूरी वस्तुओं की सूची से बाहर करना। इससे वे स्टॉक होल्डिंग लिमिट से बाहर हो जाएंगे (असाधारण परि-स्थितियों में अपवाद बरकरार) ।इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निवेशकों के मन से दखलअंदाजी का डर कम होगा।कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने के लिए निवेश आएगा।कीमतें स्थिर करने में किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों की मदद होगी।

असाधारण परिस्थितियों के लिए तय कीमतों की सेवाएं इतनी ज्यादा हैं कि शायद वे कभी लागू न हों सकें।बड़ी कंपनियों को स्टॉक जमा करने की अनुमति होगी यानी वे किसानों को अपने मुताबिक चला सकती हैं।प्याज के निर्यात बैन पर हाल में लगी रोक से इसके लागू होने पर कन्फ्यूजन।

केंद्र सरकार को अविलंब तीनों नए...

इन तीनों बिलों को संसद में भी आनन-फानन में बिना चर्चा किये बहुमत के दम पर असंवैधानिक तरीके से पास कराया। जबकि विपक्ष इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजकर चर्चा की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन बिलों पर किसी से कोई चर्चा नहीं की जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। नये किसान कानूनों पर किसानों की बात रखने के लिये पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिर हम सभी चारों कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जिससे किसानों की बातें रख सकें लेकिन राष्ट्रपति महोदय की कोई मजबूरी रही होगी इस कारण हमें समय नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अविलंब तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिये और अन्नदाता के साथ किये दुर्व्यवहार के लिये माफी मांगनी चाहिए।

सरकार से पांचवें दौर की बातचीत...

एचएस लखोवाल ने शुक्रवार को कहा कि कल हमने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर 5 दिसंबर को देशभर में मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूंके जाएंगे। 7 तारीख को सभी वीर अपने मेडलों को वापस करेंगे। 8 तारीख को हमने भारत बंद का आह्वान किया है व एक दिन के लिए सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे।वहीं, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि हमें इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। मोल्लाह ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि अगर सरकार कल कोई संशोधन रखेगी तो हम संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे।भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस दिन ऐतिहा-सिक बंद रखा जाएगा। कल सरकार के साथ वार्ता है। वार्ता से यदि किसान संगठन संतुष्ट नहीं हुए तो बंद पर रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि, पिछली बार की तरह ही कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी। लगभग आठ घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं के बातचीत के बीच में सरकार की तरफ से की गई दोपहर के भोजन, चाय और पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया था। सरकार ने बातचीत के लिए पहुंचे विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया था कि उनकी सभी वैध चिंताओं पर गौर किया जाएगा और उन पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा, लेकिन दूसरे पक्ष ने कानूनों में कई खामियों और विसंगतियों को गिनाते हुए कहा कि इन कानूनों को सितंबर में जल्दबाजी में पारित किया गया।

किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर, देशव्यापी हड़ताल की दी धमकी

गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने भी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उत्तर भारतीय राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ माल वाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (अक्टळउ) ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है।

संपादकीय

किसानों की सुने सरकार

सरकार कहती है कि खरीद-बिक्री की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की बात नया कानून नहीं करता। लेकिन कंपनियों की खरीदारी से अपना धंधा कम रह जाने के डर से कई जगहों पर आढ़तियों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी तीन महत्वपूर्ण कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के दिल्ली कूच ने राजधानी के आसपास विकट स्थिति पैदा कर दी है। इस मामले में सरकार के रवैये पर शुरू से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। पहले दिन से ही यह बात साफ थी कि किसानों में इन कानूनों को लेकर जबर्दस्त आशंका और विरोध है। ऐसे में कानून लाने से पहले व्यापक संवाद के जरिए उनकी आशंकाएं दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। पता नहीं किस हड़बड़ी में सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी चुनौतियों के बीच सारे विरोध की अनदेखी करते हुए ये कानून बनाकर लागू भी कर दिए। इससे इस धारणा को बल मिला कि कोरोना से बने हालात का फायदा उठाकर सरकार इन्हें किसानों पर लाद देना चाहती है। इस समझ का ही नतीजा है कि दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ कि कोरोना के कारण लागू धारा 144 के बीच राजधानी पहुंचने की जिद उन्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि सरकार कानून के शब्दों की अपनी व्याख्या के आधार पर ही सारी आशंकाओं को झुठलाने का प्रयास करती रही। इस मामले में शब्द और उसके व्यावहारिक अर्थ के बीच दिख रहे अंतर पर ध्यान देना उसे जरूरी नहीं लगा।

सरकार कहती है कि खरीद-बिक्री की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की बात नया कानून नहीं करता। लेकिन कंपनियों की खरीदारी से अपना धंधा कम रह जाने के डर से कई जगहों पर आढ़तियों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। इसके चलते कई सरकारी खरीद केंद्र ठप हो गए और कुछ जगहों पर कागज-पत्तर को लेकर सख्ती बढ़ जाने के चलते किसानों को अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी कीमतों पर निजी व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ा। जिस कानून का मकसद बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ाकर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने वाले हालात पैदा करना बताया गया था, वह हकीकत में किसानों को बड़े व्यापारियों के हाथ का खिलौना बना रहा है। घनघोर जाड़े-गर्मी में भी अपने खेत में ही मरता-खपता रहने वाला भारत का किसान राशन-पानी बांधकर देश की राजधानी में ही डेरा डालने की मनोदशा में पहुंच जाए, यह कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में किसानों को आंसू गैस के गोलों और बदबूदार ठंडे पानी की बौछारों से रोकने की कोशिश बचकानी और बेहद खतरनाक है। जरूरी है कि सरकार हर संभव स्तर पर किसान नेताओं से बातचीत शुरू करे, कम से कम अपने इरादे को लेकर उनका भरोसा हासिल करे और कृषि विशेषज्ञों के जरिये तीनों कानूनों के जमीनी असर का अध्ययन कराए। इस अध्ययन की अनुशंसाएं अगर किसानों को अपनी भलाई में जाती दिखें तो संसद के बजट सत्र में इसकी रिपोर्ट पेश करके आगे का रास्ता निकाला जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा

जब सैलून चल सकते हैं तो स्पा का संचालन क्यों नहीं हो सकता?

नई दिल्ली , दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में स्पा के संचालन पर रोक लगाने के फैसले पर दिल्ली सरकार से शुक्रवार को फिर से विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि अगर सैलून का कामकाज हो सकता है तो स्पा का संचालन क्यों नहीं हो सकता।

स्पा संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला ने दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछे। स्पा मालिकों ने दलील दी कि अगर सैलून को अनुमति दी जा सकती है तो उन्हें भी संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार को स्पा के संचालन के संबंध में फिर से फैसला करने और एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत अब मामले पर 16 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी।

अदालत स्पा चलाने वाले कुछ लोगों की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली में स्पा बंद हैं। सुनवाई के दौरान स्पा संचालकों ने दलील दी कि केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और कोविड-19 संबंधी अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्पा के संचालन की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिल्ली सरकार ने स्पा के संचालन की अनुमति नहीं दी जबकि सैलून, रेस्तरां और अन्य कारोबारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।

केंद्र ने भी यह स्पष्ट किया था कि उसके दिशा-निर्देश के तहत जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है उनका संचालन कंटेनमेंट जोन के बाहर किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उसने स्पा को खोलने की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि स्पा के संचालन पर प्रतिबंधों से छूट देने से उपराज्यपाल ने भी मना कर दिया था।

स्पा संचालकों ने कहा कि सैलून में भी छह फुट की दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पाता है फिर उन्हें कैसे अनुमति दे दी गई।

सिसोदिया ने कांग्रेस पर लगाया किसानों को छलने का आरोप

नई दिल्ली

नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं हैं। इस बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों की आवाज दबाकर केंद्र सरकार और कांग्रेस राजनीति कर रही हैं। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को भाजपा नेताओं से मिले और अब वह भाजपा का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पंजाब के सीएम भाजपा के सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह भाजपा की तर्ज पर बोल रहे हैं। गौरतलब है कि केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली से लगती सीमाओं के प्रवेश मार्गों पर शुक्रवार को लगातार नौवें दिन भी डटे हुए हैं। किसानों को आशंका है कि इन कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।

आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग, 25 करोड़ भी मांगे

नई दिल्ली, एक 94 वर्षीय विधवा महिला ने 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। साथ ही कीमती रत्नों का व्यावसाय करने वाले अपने पति की बेशुमार दौलत की हुई लूट की संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करते हुए 25 करोड़ की राशि से उसकी भरपाई करने की भी मांग की है इसी साल सितंबर महीने में वीरा सरीन द्वारा दायर की गई याचिका में गृह मंत्रालय को भी एक पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से चार दशक से अधिक समय से उसके और उसके बच्चों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका अभी भी आ रही है। महिला वर्तमान में देहरादून में अपनी बेटी के साथ रह रही है। 1957 में उन्होंने एचके सरीन से शादी की थी, जिनका करोल बाग और कनॉट प्लेस में उत्कर्ष कला और रत्न का व्यवसाय था। जून 1975 में आपातकाल घोषित होने के तुरंत बाद, सीमा शुल्क अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन पर सरीन के व्यावसायिक परिसरों में छापे मारे गए और कीमती सामान, आभूषण और कलाकृतियां जब्त कर ली गईं। याचिकाकर्ता के पति को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम (COFEPOSE) के संरक्षण के तहत हिरासत में रखा गया था। अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार यह कहते हुए सुना गया कि वे अपनी सभी चल-अचल संपत्ति छोड़कर देश छोड़ दें। बाद में, याचिकाकर्ता और उसके बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि उनका अधिकांश माल और संपत्ति जब्त कर ली गई थी। याचिका में कहा गया है, ह्यायाचिकाकर्ता को अलोकतांत्रिक दुःस्वप्न की समाप्ति की वास्तविक इच्छा है, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वीकृति और घोषणा के द्वारा ही संभाव है। याचिका में आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में संबंधित अधिकारियों से 25 करोड़ रुपये की वसूली का मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, इस असंवैधानिक अन्याय का असर उनके परिवार पर लगभग तीन पीढ़ियों से पड़ा है। इस आपातकाल ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया।

नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर नौसेना कर्मियों पूर्व नौसैनिकों और उन सभी के परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। श्री कोविंद ने आज ट्वीट करके कहा, नौसेना दिवस पर नौसेना कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों और उन सभी के परिजनों को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा,हमारे समुद्री अग्रिम मोर्चों की रक्षा, समुद्री कारोबारी मार्गों की सुरक्षा और सामान्य आपात स्थितियों के समय सहयोग प्रदान करने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर राष्ट्र को गर्व है। राष्ट्रपति ने लिखा, कामना है, आप समुद्री मोर्चों पर हमेशा वर्चस्व कायम रखें। जय हिन्द।

वहीं उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने नौसेना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में आपके अदम्य साहस और समर्पण पर सदैव भरोसा किया जा सकता है। श्री नायडू ने शुक्रवार को जारी एक संदेश में समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरियों को नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक वरुण देव के एक मंत्र ह्व शं नो वरुणः ह्व का उल्लेख करते हुए कहा, जल के देवता हमारे लिए शुभ हों।ह्व उप राष्ट्रपति ने कहा, नौसेना दिवस के अवसर पर भारत की समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरियों के शौर्य को नमन, उनके परिजनों के धैर्य को नमन। कृतज्ञ देश, राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में आपके अदम्य साहस और समर्पण पर सदैव विश्वास करता है, आप पर गर्व करता है। जय हिन्द। इस मौके पर नौसेना के आधिकारिक प्रवक्ता ने नैवी के प्राक्रम और सक्षमता को दिखाने वाला वीडियो शेयर कर नव दिवस की बधाई दी।

हर पल टाइम भी चाहते है की हर कमिटी के लोग इस तरह से सामने आए

AIMF कर्नाटक स्टेट के प्रसिन्डेंट सैय्यद हुसैन करोना में गरीब मजबूर लोगों के लिए कर रहे है मदद. कर्नाटक के गांव गांव में टिम के साथ जाकर राशन और जरुरत की चीजे दे रहे हैं. खास बात जो लोग बीमार है और कोई मदद नहीं मिल पा रही है उसको एस. हुसैन इन लोगों की मदद करेंगे. हर पल टाइम भी चाहते है की हर कमिटी के लोग इस तरह से सामने आए और इसी तरह से लोंगो की मदद करें.

कमल हासन ने तमिलनाडु में आरटी पीसीआर की कीमतों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली

अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से आरटी पीसीआर टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सवाल किया कि तमिलनाडु सरकार कोविड -19 के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पोलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) टेस्ट की कीमत को कम क्यों नहीं कर रही है, इसकी कीमत 3,000 रुपये है।

उन्होंने तमिल में ट्वीट किया, ह्लइस तथ्य के पीछे रहस्य क्या है कि कई राज्यों द्वारा टैरिफ कम किए जाने के बाद भी तमिलनाडु एकमात्र टैरिफ जारी रखने वाला राज्य है?ह्व उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर परीक्षण शुल्क दिल्ली में 800 रुपये, महाराष्ट्र में 980 रुपये, राजस्थान में 1,200 रुपये और मेघालय में 1,000 रुपये है। राज्य में 224 अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

सरकार अपनी 67 प्रयोगशालाओं में निः शुल्क परीक्षण करती है। लेकिन राज्य में 157 निजी लैब आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए 3,000 रुपये तक और होम कलेक्शन के लिए अतिरिक्त 500 रु का शुल्क लगाती हैं। स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा, हम इसे संशोधित कर सकते हैं [मुख्य मूल्य समिति के रूप में परीक्षण मूल्य]। तमिलनाडु आरटी-पीसीआर परीक्षणों से सख्ती से निपटने वाला एकमात्र राज्य है।

किसान का धान पूरा खरीदूंगा, दूसरे राज्यों से कोई घुसा तो भेजूंगा जेलः शिवराज सिंह चौहान

भोपाल,

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों का धान का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी, लेकिन बाहर वाला फसल लाकर मध्य प्रदेश में बेचने का प्रयास करेगा तो उसे जेल भिजवाया जाएगा। ट्रक भी जब्त करूंगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि आसपास के राज्यों से फसल लाकर बेचने का कोई प्रयास न करें। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को नसरुल्लागंज में किसानों की एक सभा में की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण निधि योजना के तहत 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने राजगढ़, सागर तथा इंदौर के किसानों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियां बंद नहीं होंगी लेकिन मंडी के अलावा अगर कोई व्यापारी किसान को फसल के अच्छे दाम दे रहा हो तो किसान मंडी के बाहर भी बेच सकता है। ये किसान की मर्जी होगी कि वो जहां चाहेगा, वहां फसल बेचे। स्टाक लिमिट समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों के लिए अभी तक स्टॉक लिमिट थी। नए कानून के तहत इसे समाप्त किया जा रहा है। किसान बोवनी से पहले व्यापारी के साथ अपनी उपज का कट्रिक्ट भी कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। किसानों का कर्ज माफ किए बिना ही प्रमाण पत्र बांट दिए गए। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला है। किसान अब भी डिफाल्टर हैं। ऐसे किसानों का ब्याज सरकार भरेगी।

हर पल टाईम्स व हरपल टीवी न्यूज

क्राईम द मोस्ट वांटेड व क्राईम इंन्वेस्टिगेशन न्यूज देश के सभी जगहों पर हमारी खास न्यूज बतायी जा रही है अगर आपको, मोबाईल और लेपटॉप, पर देखनी हो तो www.harpaltvnews.com1 टाइप करके देखिये या crimeinvestigationharpaltv.com टाईप करके सभी खबरें देख सकते हैं, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारा नंबर है ७४९८५३५२८६ अगर आपको खबर भेजना है तो ईमेल करें :

Email-harpaltimes.press@gmail.com

कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की टेनिंग दी जा रही है..

सपर्क करें: ७०२१४२५४४२

मालक, मुद्रक, प्रकाशक वसीम जे. खान ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॅम्प, चेंबूर, मुंबई -४० ००८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५ डी/ १. शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई - ४ ० ० ०४३ से प्रकाशित किया। संपादकः वसीम जे. खान. RNI NO:- MAHHIN/2011/24374

Email--harpaltimes.press@gmail.com 074985 35286 (सभी विवाद निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र मुंबई, महाराष्ट्र होगा।)